अध्याय 15

सतर्कता

वार्षिक रिपोर्ट 2017–18

सतर्कता

कार्य

कोयला मंत्रालय का सतर्कता प्रभाग कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संगठनों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा इसकी 9 सहायक कंपनियों, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) और कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) से संबंधित सतर्कता मामलों के अलावा मंत्रालय में सतर्कता प्रशासन की निगरानी करता है। मंत्रालय का सीवीओ केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), डीओपी एंड टी तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ सतर्कता मामलों पर मिल कर काम करता है।

संगठन में प्राप्त शिकायतों पर सीवीसी की 'कम्पलेंट हेंडलिंग पॉलिसी' के अनुसार कार्रवाई की जाती है और कंपनी के कर्मचारियों के सुग्राहीकरण हेतु शिकायतों की प्राप्ति से निपटान तक औचक जांच, नियमित जांच, गुणवत्ता जांच–, अनुवर्ती जांच–पड़ताल एवं सीटीई किस्म की जांच जैसी पूर्व कार्रवाई, निवारण और दंडात्मक ढंग से कम्पलेंट ट्रैकिंग सिस्टम (सीटीसी) का प्रयोग करते हुए कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2017 (01.01.2017 से 31.12.2017 तक) के दौरान निपटाए गए सतर्कता संबंधी मामलों तथा लंबित मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

स्रोत	शुरुआती शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	निपटान	शेष	अवधि–वार लंबित (महीना)			
						<1	1&3	3&6	>6
सीवीसी	10	18	28	25	3	0	1	2	0
अन्य	60	200	260	199	61	6	34	12	9

सतर्कता से संबंधित लंबित मामलों की प्रकृति संसद सदस्यों, एमएलए तथा आम जनता से प्राप्त शिकायतों के रूप में है जिसका संबंध एमओसी, कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, सीएमपीएफओ तथा सीसीओ के अधिकारी/अधिकारियों द्वारा की गई कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति, दी गई विभिन्न निविदाओं में कथित अनियमितताएं, कोयले की चोरी, भ्रष्टाचार से है।

संगठनात्मक संरचना

मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कोयला नियंत्रक संगठन के सतर्कता स्कन्धों के सीवीओ प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। संगठन के बोर्ड स्तर से निचले अधिकारियों के सतर्कता मामलों की जांच संबंधित कंपनी के सीवीओ द्वारा की जाती है तथा बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में कंपनी के सीवीओ सीवीसी के परामर्श से तथ्यात्मक रिपोर्ट उपयुक्त कार्रवाई हेतु मंत्रालय को भेजते हैं।

सतर्कता जागरूकता का आयोजन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह ''मेरा लक्ष्य–भ्रष्टाचार मुक्त भारत'' "My Vision-Corruption Free India" नामक विषय पर दिनांक 30.10.2017 से 04.11.2017 तक मनाया गया। इस जागरूकता सप्ताह के दौरान सतर्कता संबंधी मसलों पर जागरूकता सृजित करने के लिए मंत्रालय और सभी सहायक कंपनियों में भी कार्यशालाएं, वाद–विवाद, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई।

समीक्षा/निगरानी तंत्र

सतर्कता मामलों तथा आईटी पहलें के कार्यान्वयन से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती

हैं। इस अवधि के दौरान पांच (5) बैठकें हुई, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

क्र. स.	तारीख	स्थान	द्वारा समीक्षा की गई
1.	15.05.2017	नई दिल्ली	जेएस एंड सीवीओ, एमओसी
2.	29.05.2017	कोलकाता	सचिव (कोयला), एमओसी
3.	22.07.2017	नई दिल्ली	जेएस एंड सीवीओ, एमओसी
4.	03.08.2017	नई दिल्ली	जेएस एंड सीवीओ, एमओसी
5.	04.08.2017	कोलकाता	कोयला सेक्टर के साथ सीवीसी की वार्षिक सेक्टोरियल बैठक

पद्धति में सुधार संबंधी उपाय

सभी संगठन सक्रिय रूप से अचल संपत्ति रिटर्न, (आईपीआर) को ऑन–लाइन भेजने, संवेदनशील पदों से गैर–संवेदनशील पदों पर बार–बारी से स्थानांतरण आदि में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसके अलावा, ऑन–लाइन सतर्कता स्थिति की पद्धति को विकसित किया गया है तथा कोल इंडिया लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियों में लागू किया गया है। सभी संगठनों ने **'सम्मत सूची'** और **संदिग्ध सत्यनिष्ठता वाले अधिकारी (ओडीआई)** की सूची तैयार कर ली है।

आईटी पहलें का कार्यान्वयन

कोयले की चोरी तथा उठाईगिरी को रोकने, वास्तविक डाटा प्राप्त करने एवं प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने के लिए जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम की एकीकृत प्रणाली को व्यापक एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) के माध्यम से तुलन सेतुओं, सामग्री भंडारों, प्रवेश/निकास स्थलों, स्टाकयार्ड, साईडिंग्स, विस्फोट मैगजीन आदि जैसे अति संवेदनशील स्थलों से जोड़ा गया है और सीआईएल की सभी कंपनियों में इसकी परिकल्पना की गई तथा इसे कार्यान्वित किया गया है। 31 दिसम्बर, 2017 तक की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र. सं.	मद का नाम	आवश्यकता	31.12.2017 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन स्थिति
1.	जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रणाली	8683	8683
2.	सीसीटीवी द्वारा इलैक्ट्रानिक निगरानी	2509	2509
3.	आरएफआईडी आधारित वूम बेरियर्स एंड रीडर्स	2857	2857
4.	तौलसेतु की स्थिति	878	878
5.	वाइड एरिया नेटवर्किंग	1282	1197
6.	कोलनेट के कार्यान्वयन की स्थिति	50	47

उपर्युक्त के अलावा, कोयला कंपनियों ने अन्य कई ई–पहल अर्थात् सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में ई–ऑफिस का कार्यान्वयन, कोलनेट का कार्यान्वयन, ईएमडी का ऑनलाईन रिफंड, आरएफआईडी सहित इन–मोशन तौल सेतुओं की स्थापना, ई–खरीद, ऑनलाईन शिकायत प्रबंधन प्रणाली, ऑनलाईन बिल भुगतान की स्थिति, ऑनलाईन भूमि संबंधी रिकार्ड सूची, ऑनलाईन सतर्कता अनापत्ति, ऑनलाईन, ऑनलाईन शिकायत दर्ज करना तथा प्रबंधन प्रणाली, सीआईएल का सतर्कता संबंधी मोबाइल ऐप, परिसंपत्ति प्रबंधन पोर्टल आदि शुरू की है।

सतर्कता संबंधी पहलों के आधार पर सिस्टम सुधार संबंधी कई सुझाव दिए गए हैं तथा उन्हें लागू किया गया है जैसे:– एसएफएमएस सिस्टम के माध्यम से बैंक गारंटी का सत्यापन, सीएमपीडीआईएल द्वारा आउटसोर्स किए गए ओबी का मापन (प्रारंभिक, वार्षिक तथा अंतिम आरएल), गुणवत्ता हेतु विस्फोटक की जांच, फेस मेजरमेंट में 3डी टीएलएस का उपयोग, ट्रकों में लदान से पे–लोडर्स को हटाना, लोक प्रशासन नीतिशास्त्र में कार्यपालकों को प्रशिक्षण देनाए सीआईएल नीतिशास्त्र और सत्यनिष्ठा क्लब का गठन तथा प्रचालन।

अभियोजन स्वीकृति प्रदान करना

इस अवधि के दौरान, कोयला ब्लॉकों के आबंटन में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों पर अनियमितता का आरोप है, उनके विरूद्ध अभियोजन मंजूरी/नियमित विभागीय कार्रवाई करने के लिए सीबीआई ने 16 मामले मंत्रालय को भेजे हैं। इन मामलों की मंत्रालय में जांच की गई तथा अधिकारियों के विरूद्ध नियमित विभागीय कार्रवाई करने के लिए अभियोजन मंजूरी/कार्रवाई करने के लिए टिप्पणियां प्रशासनिक मंत्रालय होने के नाते डीओपी एंड टी को भेजी गई थी।